

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः श्री एम०के० सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3442-एक / 12 विरुद्ध आदेश दिनांक 24-7-12 पारित
द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक 519 / अ-6 / 11-12.

- 1— प्रेमनारायण सराफ पिता स्व. रामदुलारे जौहारी
- 2— श्रीमती ममता पत्नी प्रेमनारायण सराफ
- 3— वीरेन्द्र कुमार पिता प्रेमनारायण सराफ
सभी निवासी सराफा बाजार,
जिला जबलपुर म.प्र.

विरुद्ध

मेसर्स समदड़िया बिल्डर्स द्वारा
प्रो. किशोर समदड़िया द्वारा अर्टानी अजीत समदड़िया
पिता केशरी चंद्र समदड़िया
निवासी सराफा बाजार जबलपुर म.प्र.

— — — — — अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री हितेन्द्र विश्वकर्मा
अनावेदक — एकपक्षीय

:: आदेश ::

(आज दिनांक २३) ७ | २०१५ को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 519 / अ-6 / 11-12 में पारित आदेश दिनांक 24.7.12 से परिवेदित होकर म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन संहिता की धारा 115, 116 के तहत प्रस्तुत किया गया कि मौजा माढोताल रिथ्त भूमि सर्वे नं. 3.556 आवेदकों के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि में से 0.393

हैक्टर भूमि छोड़कर शेष भूमि को विक्रयपत्र दिनांक 25.11.02 के माध्यम से अनावेदक को विक्रय कर दिया गया। राजस्व अभिलेखों में आदेश दिनांक 14-5-07 के अनुसार विक्रयपत्र के आधार पर प्रविष्टियों का इन्द्राज न किया जाकर भूलवश खसरा नं. 104/4 रकबा 0.667 हैक्टर भूमि केता अनावेदक के नाम दर्ज न होकर आवेदक ममताबाई जोजे प्रेमनारायण के नाम दर्ज है तथा खसरा नं. 108/2, 108/3, 109/4, 109/5 रकबा कमशः 0.212, 0.130, 0.010, 0.010 कुल रकबा 0.362 हैक्टर जो विक्रय नहीं की गई है अनावेदक समदड़िया बिल्डर्स के नाम दर्ज हो गई है। अतः उपरोक्तनुसार राजस्व अभिलेख में हुई त्रुटि का सुधार किया जाये। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया एवं उभयपक्षों को सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 6-8-11 द्वारा आवेदकों का आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि आवेदन एक वर्ष की समयसीमा के पश्चात दिया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदकों द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 23-2-12 द्वारा निरस्त की। एस.डी.ओ. के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है। अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि खसरा नं. 104/4 रकबा 0.667 हैक्टर अनावेदक समदड़िया बिल्डर्स के नाम से दर्ज न होकर ममताबाई आवेदक के नाम दर्ज है तथा खसरा नं. 108/2, 108/3, 109/4, 109/5 रकबा कमशः 0.212, 0.130, 0.010, 0.010 हैक्टर अनावेदक के नाम दर्ज है जबकि उक्त भूमि उनको विक्रय नहीं की गई है। अनावेदक द्वारा भी इस संबंध में विचारण न्यायालय में जबाव दिया गया जिसमें कहा गया कि उक्त भूमि उन्होंने नहीं खरीदी है परंतु भूलवश उनका नाम दर्ज हो गया है जिसको दुरस्त किए जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को समयसीमा में पेश किया जाना न मानते हुए निरस्त करने में त्रुटि की गई है। अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त आधार पर अपील को निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है।

यह तर्क दिया गया कि तकनीकि आधार पर आवेदक के आवेदन/अपील को खारिज नहीं करना चाहिए प्रकरण को निर्णीत करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए


कि पक्षकारों को सही न्याय प्राप्त हो सके केवल संहिता की धारा 116 के तहत परिसीमा का आधार लेकर आवेदकों न्याय से वंचित करना विधिसंगत नहीं है। उक्त आधार पर उनके द्वारा त्रुटि सुधारने के आदेश देने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय है।

5/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण आवेदकों की ओर से विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें आवेदकों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा अनावेदकों को ग्राम माढ़ोताल रिस्त कुल भूमि 3.556 में से 0.393 हैक्टर भूमि छोड़कर शेष भूमि का विकायपत्र दिनांक 25-11-02 के माध्यम से अनावेदकों को किया गया है किंतु राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां विकायपत्र के अनुसार न की जाकर आवेदकों द्वारा विकाय करदी गई भूमि खसरा नं. 104/4 रकबा 0.667 हैक्टर पर विकेता का ही नाम दर्ज है तथा खसरा नं. 108/2, 108/3, 109/4 एवं 109/5 रकबा कमश: 0.212, 0.130, 0.010 एवं 0.010 कुल रकबा 0.362 हैक्टर जो विकाय नहीं की गई है वह अनावेदक के नाम दर्ज करदी गई है, अतः उसको सुधारा जाये। तहसीलदार ने उक्त आवेदन को अवधि बाह्य मानते हुए निरस्त किया है जिसकी पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं हैं, क्योंकि इस प्रकरण में किसी भी न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को देखने का प्रयास नहीं कियाहै और तकनीकि आधार पर आवेदकों के आवेदन को निरस्त किया है। यदि विकायपत्र के आधार पर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण करते समय यदि राजस्व अधिकारियों से कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए आवेदकों को जिम्मेदार ठहराना ना तो औचित्यपूर्ण है और ना ही न्यायिक विशेषकर उस स्थिति में जबकि अनावेदक द्वारा भी आवेदन प्रस्तुत कर उक्त त्रुटि सुधारने हेतु लिखित सहमति दी गई हो। जहां तक अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष कि शेष भूमि रकबा 0.362 किस खसरा नंबर से बचाई गई है, इसका उल्लेख विकायपत्र में नहीं है भी सही नहीं है। क्योंकि विकायपत्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि विकेता क्रमांक 1 एवं 2 की भूमि में से 0.369 हैक्टर भूमि छोड़कर (जिसे संलग्न नक्शे में नीली स्याही से दर्शाया गया है) बाकी भूमि का विकाय कियका जा रहा है। विकायपत्र के साथ संलग्न नक्शे में जो भाग नीली स्याही से दर्शाया गया है वह खसरा नंबर 108 एवं

109 का ही भाग है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वे स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरीन स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-7-12, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-2-12 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-8-11 अवैधानिक होने से निरस्त किए जाते हैं। तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे खसरा नं. 104/4 रकबा 0.667 पर विक्यपत्र के आधार पर आवेदक ममताबाई के स्थान पर अनावेदक का नाम तथा खसरा नं. 108 एवं 109 के भाग रकबा 0.393 हैक्टर भूमि (जिसे विक्यपत्र के साथ संलग्न नक्शे में नीली स्याही से दर्शाया गया है) पर आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये और तदनुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें।



(एमो कॉ. सिंह)

सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर